

SP3  
27/4/12

प्रेषक,

एस० रामास्वामी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

टैक्स अपेक्षा  
माहायोग्यम् (सभा द्वारा दृष्टा)

D. B.M.C.  
ग्रामीण विभाग  
मुख्यमंत्री कार्यालय  
दिनांक २४ अप्रैल २०१२

देहरादून, दिनांक: २४ अप्रैल, २०१२

### नियोजन अनुभाग-2

विषय- शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में हुए शासनादेशों के क्रम में गत शासनादेश सं०-३३/XXVI/छ/(2)/2009, दिनांक ०६ दिसम्बर, २०१० का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में मा० मंत्रिमण्डल के निर्णय/आदेश के क्रम में हेतु कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

i) उत्तर प्रदेश राजकीय निगम को उत्तराखण्ड में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची से हटाया जाता है।

ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में शामिल किया जाता है।

iii) चार केन्द्रीय सार्वजनिक उपकरणों को उत्तराखण्ड राज्य में शासकीय कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था की सूची में कार्य की प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जाता है:-

1. National Building Construction Corporation (NBCC)
2. National Projects Construction Corporation Limited (NPCC)
3. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
4. Bridge & Roof Company India Limited

-भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य

-भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य

-भवन कार्य


-भवन/मार्ग/जलापूर्ति/सीवरेज कार्य

iv) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड की तकनीकी क्षमता एवं उपलब्ध कार्य प्रभार तथा निर्माण कार्यों की लागत में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को ₹ 5.00 करोड़ लागत तक के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जाता है।

सहशर्त— (बिन्दु ii एवं iii के लिए अनुमत्य)

1. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यों के प्राक्कलन राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची पर तैयार करने तथा राज्य में प्रचलित विशिष्टियों के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।
2. कार्यदायी संस्थाओं की वर्तमान क्षमता तथा राज्य की निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अन्तराल को पाठने हेतु कार्यदायी संस्थाओं के विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भी शासकीय निर्माण हेतु अधिकतम 6.75 प्रतिशत विभागीय प्रभार पर कार्य हेतु राज्य की कार्यदायी संस्था के तौर पर सूचीबद्ध किया जाता है।
3. राज्य की कार्यदायी संस्था के तौर पर सीमित निविदा आमंत्रित करने के पश्चात वित्त विभाग के तय प्रभार के बराबर या उनसे कम प्रभार पर कार्य कराने का अनुमोदन किया जाता है।
- उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

  
(एस० समास्वासी)

प्रमुख सचिव।

प०स०-

(1) / XXVI / छ.(2) / 2009, तददिनांकित।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—


1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
3. महाप्रबन्धक (वी०डी०), एन०बी०सी०सी० भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4. महाप्रबन्धक, अनुबन्ध मार्केटिंग एवं कार्यकारी खण्ड, एन०पी०सी०सी० प्लाट नं०-67-68, सेक्टर-25, फुरीदाबाद, हरियाणा।
5. अधिशासी अभि० बी०एस०एन०एल० सिविल सर्किल, 3 त्यागी रोड, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (मार्केटिंग) सिविल ईस्ट, 427/1, जी०टी० रोड, हावड़ा, कोलकत्ता।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)  
अपर सचिव।

C. M. D. for kind information pl.  


  
25/11/2012  
2m (N.W)